

FAX

12 (34) / 103 TC

संख्या-18 (I)/1-10-2014-

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद, मऊ, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, बस्ती, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई,
बरेली, गाजीपुर, वाराणसी, पीलीभीत, बहराइच, खीरी, श्रावस्ती एवं इटावा।

राजस्व अनुभाग-10

तखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2014

विषय वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एमओएचओ पत्र संख्या-32-3/2013-एनडीओएमओ-1, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं०-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु आप द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कम्बल/ अलाव हेतु ₹ 89,00,000/- (रुपये नवासी लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1	गाजियाबाद	02	3,00,000 (₹ 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)

2	मऊ	04	6,00,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
3	सिद्धार्थनगर	05	7,50,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
4	बाराबंकी	06	9,00,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
5	बस्ती	04	6,00,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
6	फतेहपुर	03	4,50,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
7	फर्रुखाबाद	03	4,50,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
8	हरदोई	05	7,50,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
9	बरेली	06	9,00,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
10	गाजीपुर	05	2,50,000 (कम्बल हेतु)
11	वाराणसी	03	4,50,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
12	पीलीभीत	03	3,00,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
13	बहराइच	04	6,00,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
14	लखीमपुरखीरी	06	9,00,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
15	श्रावस्ती	03	4,50,000 (रु0 1.50 लाख प्रति तहसील कम्बल हेतु)
16	इटावा	05	2,50,000 (रु0 50.00 हजार प्रति तहसील अलाप हेतु)
	योग		89,00,000

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

3- शासनादेश संख्या-3570(1-10-2013-12(34)/03टी.सी.-1, दिनांक 19.11.2013 तथा शासनादेश संख्या-3570(1)/1-10-2013-12(34)/03टी.सी.-1, दिनांक 05.12.2013 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 18 (11-10-2014, तददिनांक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 5- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा स्वी.

(अनिल कुमार बाजपेई)

उप सचिव।